राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7]   बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेरहवां दिवस   [संख्या : 9

मंगलवार,

13 मार्च, 2007

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन,

जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

प्रश्नकाल स्थगित कर ओलावृष्टि से नुकसान पर चर्चा की मांग

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से कल ओलावृष्टि हुई है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल स्थगित कर, कल हुई भंयकर ओलावृष्टि से किसान की सब फसलें बरबाद हो गई पूरे राजस्थान में। कोई एक जिले की बात नहीं है, पूरे राजस्थान में नष्ट हो गई। (व्यवधान) प्रश्नकाल का कोई महत्व नहीं है। जब तक यह सरकार इसका स्पष्टीकरण नहीं दे और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है उसकी जानकारी सदन को नहीं दे तब तक सदन बहुत चिंतित है और चाहता है कि इस पर पहले विचार हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण (व्यवधान) माननीय सदस्य....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : फसलें बरबाद हो गई, भारी नुकसान हुआ है।(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : भारी नुकसान हुआ है। कल तो आपके झुन्झुनू में भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लोग जो कहना चाहते हैं मैं वही कहने जा रही हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : किसानों की चिंता है, पहले सरकार से (व्यवधान) आना चाहिये, बाद में प्रश्नकाल होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वही कहना चाह रही हूं।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : भारी नुकसान हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : पूरे राजस्थान में हुआ है (व्यवधान) सब फसल खराब हो गई, सरसों की, गेंहू की।

श्री अमराराम (धोद) : पिछले पांच दशक में भी इतनी ओलावृष्टि नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : विधान सभा की कार्यवाही को रोककर तत्काल किसानों की समस्या की तरफ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आधा-आधा किलो के ओले पड़े हैं (व्यवधान) हजारों, करोड़ की फसल नष्ट हो गई।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे सुनेंगे कि नहीं, मैं जानना चाह रही हूं ? मैं जानना चाह रही हूं कि आसन को सुनेंगे कि नहीं। ओलावृष्टि और तबाही पर जितना चिंतित आप है उतना ही आसन भी है और उतना ही सरकार भी है मैं चाहूंगी कि आज वक्तव्य दे मंत्री जी..(व्यवधान) आप सुनेंगे कि नहीं ?

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : अध्यक्ष महोदय सरकार का..(व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : आपके झुन्झुनू में भी ओले पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अगर सरकार चिंतित थी तो पहले... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : नुकसान हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : xxx

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सुनने को तैयार नहीं हैं। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। मैं कहती हूं स्थान ग्रहण करें। आप पहले मुझे कहने दीजिए। आसन को पहले कहने दीजिए। आप पहले मुझे कहने दीजिए। (व्यवधान) मैंने अपनी बात खतम नहीं की है।

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने अपनी बात खतम नहीं की है1 (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री अध्यक्ष : आसन ने अपनी बात खतम नहीं की है।

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री अध्यक्ष : आसन ने अपनी बात समाप्त नहीं की है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री अध्यक्ष : आप पहले आसन को पूरी बात कहने दीजिए और उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :xxx

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये (व्यवधान) मैं कह रही हूं आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :xxx

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर लें (व्यवधान) मतलब आपको समस्या का निवारण नहीं चाहिये, आपको शोरगुल से मतलब है ?

श्री अमराराम (धोद) :xxx

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :***

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अकाल राहत मंत्री जी वक्तव्य देने को तैयार हैं (व्यवधान) राज्य की मुख्य मंत्री, ओलावृष्टि का (व्यवधान) घटना स्थल पर रवाना हो चुकी है।

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :***

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : मुख्य मंत्रीजी प्रभावित एरिया पर (व्यवधान) रवाना हो चुकी है।

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : किसानों को मदद यह सरकार ही कर रही है और करेगी। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) :***

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :***

श्री अध्यक्ष : आसन को भी नहीं सुनना चाहते (व्यवधान) जो माननीय सदस्यगण खड़े हैं मैं उन सबसे निवेदन कर रही हूं कि कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) पहले आसन को अपनी बात कहने दीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :***

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप मेरी बात सुनिये। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप आसन की बात को पहले सुनेंगे और उसके बाद (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :***

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप आसन को सुनना ही नहीं चाह रहे, सवाल तो यह है, मैं जो कहना चाह रही थी, मुख्य मंत्रीजी उन गांवों में जा चुकी हैं, स्वंय देखने के लिए, जहां ओले पड़े हैं। (व्यवधान) आगे सुनने को तैयार नहीं है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) :***

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :***

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री अध्यक्ष : मैं क्या कहने जा रही हूं आप सुन नहीं रहे। नेता प्रतिपक्ष, आपसे कह रही हूं आप अपने माननीय सदस्यों को व्यवस्थित करे और पहले आसन को सुने, आप सब माननीय सदस्यों से कहिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, कुछ नहीं, आप स्थान ग्रहण करें। धोद से आने वाले सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य आप आसन की बराबर अवहेलना करते जा रहे हैं । (व्यवधान) आप बराबर रोजाना आसन की अवहेलना करते हैं यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) नहीं, मैं आपका नाम लेकर पुकारूंगी।

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री अध्यक्ष : धोद से आने वाले माननीय सदस्य आप आसन को सुनना नहीं चाह रहे हैं मैं क्या व्यवस्था देने जा रही हूं..(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) :***

श्री अध्यक्ष : हजारो-करोड़ों के एक आप ही शुभचिन्तक नहीं हो, हमें भी उतनी ही चिंता है, आसन को भी उतनी ही चिंता है। आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे हो। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए। इस गम्भीर समस्या से, जो पकी-पकाई फसल है एकदम नष्ट हो गई, किसानों की जो पांच-छह महीने की मेहनत थी वह सब बेकार चली गई, वह रो रहे हैं मैं मानती हूं लेकिन इसका निदान इस तरीके से, शोरगुल से नहीं निकलेगा। मैं चाहूंगी, आज तो वक्तव्य दे ही रहे हैं मंत्री जी लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने-अपने इलाको में जाएं। अपने इलाकों में 17 तारीख को जाए। 17, 18, 19 तीन दिन छुट्टी होगी 20 तारीख को चेटीचण्ड के रोज यहां पर वापस

(श्री अध्यक्ष)

मिलेंगे और जो कुछ समस्या है उस बारे में विस्तृत चर्चा होगी और विस्तृत चर्चा होकर उस बारे में आगे का फैसला लिया जाएगा। निश्चित तौर से सरकार से भी मैं चाहूंगी। (व्यवधान) अब आप बीच में नहीं बोले। शांत रहे, पूरी बात सुने। मैं चाहूंगी सरकार भी..(व्यवधान) अब आप फिर वही बात कर रहे हैं...

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई) : xxx

श्री अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान का भी पता लग जाएगा और और उस नुकसान का पता लगने के बाद निश्चित तौर से सरकार उसके अंदर, उन किसानों को जिनकी ओलावृष्टि और इस तूफान से फसल तबाह हुई है निश्चित तौर से उनको अपनी और से कुछ न कुछ राहत प्रदान करेगा। विस्तृत चर्चा होगी इस बारे में।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : xxx

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री अध्यक्ष : सरकार को भी तो पूरी जानकारी चाहिये कि कहां-कहां कितना...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत बात करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज मौका है ना आपको बोलने का। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : आपने व्यवस्था दे दी है कि मुख्य मंत्रीजी कल ही ओला प्रभावित क्षेत्रों को आंखों से देखकर आई हैं।

श्री अध्यक्ष : हां गयी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : गयी हैं, आपने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रही हूं, गयीं. She has gone. मेरे से पूछकर गयी हैं। मुझे कहा है, मैं आज नहीं रहूंगी।

श्री अमराराम (धोद) : xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपने चेटीचण्ड तक का अवकाश दे दिया। आज की विधान सभा 1952, 57, 62, 67 की विधान सभा नहीं है। आज हर विधायक हर व्यक्ति, हर गांव और हर ढाणी से जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, सबको पता है। इसलिये आप चेटीचण्ड तक नहीं दें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता विधान सभा में अपने आफिस में विराज रही हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं विराज रही हैं, वे जा चुकी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : नहीं, हैं। नहीं, हैं।

श्री अध्यक्ष : वे चली गयी हैं। मैं बता रही हूं आपको। मुझसे पूछकर गयी हैं। उन्होंने कहा, मैं जा रही हूं। इसलिये मैं आज सदन में नहीं रहूंगी। मैं शाम तक आऊंगी, जो भी अपनी मीटिंग थी, बेस्ट विधायक के सलेक्शन की। उसके लिये भी उन्होंने कहा कि तीन के बजाय साढ़े छह बजे का समय आप कर लें। वे जा चुकी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, सदन तभी शांत होगा, प्रतिपक्ष तभी शांत होगा, सत्तापक्ष में तो सरदारजी बैठे हैं, उधर लास्ट के अन्दर, उनके तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। इसलिये उनको तो कोई चिन्ता नहीं है। क्योंकि सारा सिंचित एरिया है।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : xxx

श्री अध्यक्ष: क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) :_xxx

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) :_xxx

श्री जुबेर खान (रामगढ़) :_xxx

श्री जीतराम (मालपुरा) : xxx

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :_xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :_xxx

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : राजस्थान प्रभावित हो गया। फसल नष्ट हो गयी और आज आप बात कर रहे हो। सारा राजस्थान ओलावृष्टि से प्रभावित है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) :_xxx

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :_xxx

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) :_xxx

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :_xxx

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :_xxx

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़) :_xxx

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के किसानों के ऊपर बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के माहौल में ...(व्यवधान) खाद के, बीज के पैसे देने पड़ते हैं। आप लोगों की मजाक कर रहे हो, किसानों के साथ (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी दौरा करने जा रही हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी व व्यवधान)

भारत सरकार पैसा देती नहीं है। उसके बावजूद भी सरकार किसानों की पूरी मदद कर रही है। (व्यवधान) सभी अधिकारियों को कह दिया गया है। जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन शुरू हो गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपने-अपने स्थान पर जाइये, अपने-अपने स्थानों पर जाएं। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.20 बजे से 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(12.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, विराजिये।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रतिपक्ष के लोग किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है और यह पहली सरकार है जिसने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए पूरा पैकेज दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मुआवजा दिया। मुख्य मंत्रीजी, ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए गयी हैं। ... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से राजस्थान में लगातार दस साल से अकाल पड़ रहा है उसके बावजूद जो ओलावृष्टि हुई है और राजस्थान में बारिश हुई है ... (व्यवधान) किसानों की खड़ी फसल खराब हो गयी है। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ... (व्यवधान) आज जिस तरीके से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ... (व्यवधान) यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : कोई मतलब नहीं है इनको। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठिये। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : आज किसानों के पास कमा-खाने का कोई साधन नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : किसानों की कोई चिन्ता नहीं है प्रतिपक्ष के लोगों को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर चिन्ता होती तो माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनते। ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा मुआवजे की तुरन्त घोषणा की जाए। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : आज राजस्थान के किसानों के ऊपर जो कहर बरपा है, सरकार कुछ करना चाहती है मदद ... (व्यवधान) राजस्थान के किसानों को राहत पहुंचाना चाहती है यह सरकार। ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा) : यह सरकार किसान विरोधी है। ... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : केवल शोरगुल करना ही, बोलना ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनका काम रह गया है।

एक माननीय सदस्य : सांवरलालजी, आपके भी पड़े होंगे ओले। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण कीजिए। ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत मंत्रीजी आ गये हैं, वे वक्तव्य देना चाहते हैं। वक्तव्य देने को तैयार है। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अकाल राहत मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। विराजिये। ... (व्यवधान) मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं। ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : अकाल राहत मंत्रीजी खुद ही कुछ कहना चाहते हैं। ... (व्यवधान) यह सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : वक्तव्य सुनना ही नहीं चाहते हैं यह। ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : खाली घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कोई लेना-देना नहीं है इनको किसानों से। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं आपको। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : इन विधायकों में से कोई गम्भीर नहीं है।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आप लोगों को आराम से सुनना चाहिए। मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : विपक्ष सरकार से सहायता ही दिलवाना चाहती है, राजस्थान का हित चाहते हैं तो ... (व्यवधान) 50 परसेंट यह राजस्थान सरकार का और 50 परसेंट केन्द्र सरकार का होना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं यहां पर मंत्रीजी को। ... (व्यवधान) और कोई वजह तो है ही नहीं ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह घड़ियाली आंसू बहाने की जगह केन्द्र सरकार को भी, केन्द्र सरकार को बाध्य करें। केन्द्र सरकार को भी बाध्य करें कि किसानों के आंसू पोंछने के लिए 50 परसेंट राशि केन्द्र सरकार की तरफ से दिलवायी जाए। ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : प्रतिपक्ष की किसानों के प्रति ... (व्यवधान) सदन में सिवाय शोरगुल करने के अलावा, हो-हल्ला करने के अलावा कोई काम नहीं है। किसानों की कोई सोचता ही नहीं है। मंत्रीजी वक्तव्य देने को तैयार हैं तो उसके बाद सदन में जो उन्हें कहना है वह कहें। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी स्टेटमैंट देना चाहते हैं। ... (व्यवधान) आप सुनिये तो सही।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : किसानों को पहले भी अनुदान दिया गया है। मंत्रीजी सदन में कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद भी यह विपक्ष के लोग यहां ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्यगण, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्यगण, नहीं-नहीं ... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ... (व्यवधान) केवल समय बरबाद कर रहे हैं। ऐसे कीमती समय बरबाद ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार को बदलना है तो केन्द्र से पांच हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा तय करवा दो, अपने आप ही बदल जाएगी। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : आधा हिस्सा, सही बात है, आधा हिस्सा स्टेट का और आधा केन्द्र का होना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहते हैं, आप सुनिये तो सही। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : सवाल तो यही है। अखबारों में कल छप जाना है और कुछ नहीं ... (व्यवधान) अगर वाकई में गम्भीर हो और मुआवजा दिलाना चाहते हो तो केन्द्र सरकार को भी बराबर दबाव बनाया जाए। ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी यह ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : और इनको थोड़ा पहले यह ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आपकी पार्टी ने तो हल्ला ही करना सिखाया है आपको। किसानों के प्रति गम्भीर नहीं हो। ... (व्यवधान) सरकार से वक्तव्य आ रहा है। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी नारेबाजी व शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.06 बजे से 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(14.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य देने के लिये तैयार है। राजस्थान के अंदर जो त्रासदी हुई है, सरकार वक्तव्य देने के लिये तैयार है। आसन ने व्यवस्था दी थी कि अध्यक्ष जी आ जायें तब सरकार वक्तव्य देने को तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : सरकार वक्तव्य देने के लिये तैयार है। माननीय सदस्यों को चाहिये ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : किसानों को मुआवजा दो। ...(व्यवधान)...किसानों को मुआवजा दो। ...(व्यवधान)...

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दिलाओ। मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहते हैं। मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार वक्तव्य दे रही है तो इनको सुनना चाहिये और वक्तव्य देने के बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं हो ...(व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : या तो किसानों को मुआवजा दो नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं चाहती हूं कि आप माननीय मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें, उसके बाद आपको पूरा समय दिया जायेगा कि आप जो कुछ बात पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, वह बात कहने का आपको अवसर भी दूंगी। ओलावृष्टि में कामर्शियल क्रोप्स नहीं है, उसमें इन्क्लुड नहीं है, इसलिए कुछ लोग उसके बारे में भी अपनी बात कहना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप शांतिपूर्वक मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें ताकि मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद कुछ शेष रह जाये, वह शेष बात आपको कहने का मौका मिले। मैं पुनः आग्रह करूंगी कि आप शांतिपूर्वक अपने-अपने स्थान पर चले जायें और अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, आपको फिर निवेदन कर रही हूं कि आप अपने अपने स्थान पर चले जायें और आप स्थान पर जाकर मंत्रीजी का वक्तव्य सुनें। मंत्रीजी वक्तव्य दें। ...(व्यवधान)...

शासकीय वक्तव्य

राज्य में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में राज्य में 20 जिले ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने स्थिति की समीक्षा करते हुए मुझे निर्देश दिये कि वे सभी जिला प्रभारी मंत्रीगण व सभी प्रभारी सचिवगण को ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में तुरन्त भेजें तथा मंत्रीगण व सचिवगण अपनी रिपोर्ट दिनांक 15 फरवरी, 2007 तक प्रेषित करें। मेरे द्वारा सभी ओलावृष्टि प्रभावित जिलों के

(डा. किरोड़ी लाल)

प्रभारी मंत्रीगण को पत्र द्वारा उपर्युक्तानुसार निवेदन किया गया। इसी क्रम में प्रभारी मंत्रीगण एवं सचिवगण द्वारा अपने-अपने प्रभार वाले जिले का दौरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को सुनिये। इनके स्टेटमेंट को सुनिये, उसके बाद बात करिये। ..(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : प्रभारी मंत्रीगण, प्रभारी सचिवगण व जिला कलक्टर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर इन 20 जिलों में लगभग 775 गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ। परन्तु इनमें से 150 गांवों में खराबा 50 प्रतिशत से अधिक हुआ। इन 150 गांवों में से 48 गांव वे थे जो पूर्व में संवत 2063 में अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके थे। शेष रहे बीकानेर के 1, धौलपुर के 19, श्रीगंगानगर के 57, हनुमानगढ़ के 18 व जयपुर जिले के 7, इस प्रकार कुल 102 गांवों को राजस्थान अफेक्टेड एरियाज एक्ट 1952 की धारा 3 व 4 के अन्तर्गत दिनांक 20.2.07 को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया। ...(व्यवधान)... दिनांक 12 मार्च एवं 13 मार्च 2007 को जो ओलावृष्टि हुई है, उसके सर्वे के निर्देश भी दे दिये गये हैं। रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट कर दी जायेगी। ...(व्यवधान)... इसके लिये राजस्थान की सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। ...(व्यवधान)... ओलावृष्टि से मृतकों के परिवारों को 50 हजार रुपये, गम्भीर रुप से घायलों के परिवारों को 25 हजार रुपये एवं सामान्य घायलों के परिवारों को 5 हजार रुपये प्रति व्यक्ति अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। पक्के मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर 10 हजार रुपये, गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 2 हजार रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 800 रुपये प्रति मकान की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। कच्चे मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर 6 हजार रुपये, गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 1200 रुपये तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये 800 रुपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ...(व्यवधान)... जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल को क्षति हुई है, उनको सिंचित क्षेत्र के लिये 2500 रुपये प्रति हैक्टेयर एवं असिंचित क्षेत्र के लिये 1000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी । ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर, यह किसानों की हितैषी सरकार है। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टेयर ... (व्यवधान)... किसकी हाय-हाय ? ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : अन्य किसानों को भी लघु एवं सीमान्त कृषकों की भांति कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा। ये कृषि आदान अनुदान दो हैक्टेयर तक ही देय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी पहली बार राजस्थान की सरकार ने किया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

ओलावृष्टि से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आबियाना माफ कर दिया गया।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : आबियाना माफ कर दिया गया ओलावृष्टि से प्रभावित ......(व्यवधान) ...

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : जिन प्रभावित परिवारों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं, उनको तुरन्त सहायता के रूप में 20 रुपये प्रति वयस्क एवं 10 रुपये प्रति बच्चे प्रतिदिन की दर से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था तक नकद अनुग्रह सहायता व कपड़ों के लिये 500 रुपये एवं बर्तनों के 500 रुपयों की राशि प्रति परिवार उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : सबसे बढिया है। पूरे राजस्थान में आज से पहले नहीं था वाह-वाह। ..(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : ओलावृष्टि से प्रभावित वे गांव जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है उन क्षेत्रों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है तथा भू-राजस्व स्थगित कर दिया गया है। सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर रिफेजिंग की जायेगी। ..(व्यवधान)...जिन किसानों की फसलों में 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है, उनके दो माह के बिजली के बिल माफ किये जावेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बिजली के बिल माफ करेंगे। ..(व्यवधान)...

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री) : दो माह के बिजली के बिल माफ, वाह-वाह ..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं ..(व्यवधान)...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ओलावृष्टि से जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है, प्राकृतिक प्रकोप से जो नुकसान हुआ है, उसमें जीरा .. (व्यवधान)... हुआ है । काश्तकार का बहुत नुकसान हुआ है ..(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री) : इतना पैकेज दिया, आपने सुना नहीं क्या ? ..(व्यवधान)...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : इन फसलों की भरपाई नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि कृषि जिंस चाहे किसी प्रकार की हो, वह इसमें सम्मिलित की जाये और इसके साथ-साथ अगर विपक्ष गम्भीर है तो मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा दो हजार रुपये केन्द्र सरकार से और दो हजार रुपये राज्य सरकार से देने की वकालत करो। ..(व्यवधान)... राज्य सरकार ने पहली बार 625 रुपये प्रति बीघा सीमान्त काश्तकार को छोड़कर दूसरे जो काश्तकार हैं, उनको मुआवजा देने का जो निर्णय किया है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। खाली हाउस के अंदर शोर-शराबा करने से काश्तकारों का भला नहीं होने वाला है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य अगर हाउस में बोलेगा तो हो सकता है कोई सार्थक बात निकले, कोई काश्तकारों के हित की बात हो सकती है। बहस करने से ही सब कुछ हो सकता है, बिना बहस किये बिना कोई जानकारी, हो-हल्ला ...(व्यवधान)...

पिछले 50 वर्षों से काश्तकारों के लिए खाली घड़ियाली आंसू बहाने से उनके घावों पर मरहम नहीं लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री रामप्रताप कासनिया)

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ... (व्यवधान) इस देश के अन्दर जब काश्तकारों की प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट होने वाली फसल के लिए मुआवजा जब तक तय नहीं होगा तब तक इस देश के किसान खुशहाल होने वाले नहीं हैं। ... (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में आजादी के 60 साल बाद किसानों की यह सरकार ... (व्यवधान) ओलावृष्टि की वजह से ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : खाली नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। ... (व्यवधान) अगर प्रतिपक्ष इस पर गम्भीर है तो ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहले भी ओलावृष्टि होती रही है लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में कभी किसानों को एक पैसा मुआवजा नहीं दिया, पहली बार सरकार ने इतना बड़ा पैकेज घोषित किया है। ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रस्ताव पारित करें ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों से कोई सरोकार नहीं है ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : केन्द्र सरकार से 50 प्रतिशत राशि मांगनी चाहिए। अगर राज्य सरकार एक हजार रुपये देती है तो कम से कम केन्द्र सरकार से एक हजार रुपये देने की तो वकालत करो। ... (व्यवधान) खाली घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होने वाला, माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकार बरबाद हो गया और काश्तकार की जो तकलीफ है, पीड़ा है वो इस हाउस में सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्र में जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपायी ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहली बार, माननीय अध्यक्ष महोदय, हुआ है ... (व्यवधान) बिजली का बिल माफ कर दिया और इस तरह की जो घोषणा की है मंत्री महोदय ने...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 11 तारीख की राजस्थान पत्रिका में मैंने पढ़ा है कि 2200 करोड़ रुपये कर के रूप में राजस्थान सरकार के बकाया हैं। 2200 करोड़ रुपये व्यापारियों की तरफ से कर बकाया है। ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी सरकार ने ... (व्यवधान) यहां पहली बार अनूठा काम किया है ... (व्यवधान) किसानों की, नौजवानों की सरकार ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वो राशि वसूल करके और राजस्थान सरकार काश्तकार के नुकसान की भरपाई कर सकती है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और व्यापारियों ने वो कर दस वर्ष पूर्व उपभोक्ताओं से वसूल लिया है। व्यापारी कोई अपने घर से कर नहीं देता। व्यापारियों ने जब उपभोक्ताओं से कर वसूल और राज्य सरकार उस कर को सख्ती से वसूल करे और काश्तकारों को प्राकृतिक प्रकोप से जो फसल नष्ट हुई है उसकी भरपाई कर ले, यह भी निवेदन करना चाहता हूं।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना रिलीफ ओलावृष्टि या अतिवृष्टि से हुआ है, सी.पी. साहब।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं ना कोई विपक्ष की कर रहा हूं, जो हकीकत है वो मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष इतना ही गम्भीर है तो एक संकल्प पारित करने में क्या दिक्कत है? केन्द्र सरकार से मुआवजा मांगने के लिए पक्ष और विपक्ष एक संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भेजें।

मैं इसके साथ-साथ यह भी चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी, अगर कमी है तो सिर्फ काश्तकारों को प्राकृतिक प्रकोप से जो फसल नष्ट होती है उसका मुआवजा देने की आपने व्यवस्था जरूर की है, पहले सीमांत और लघु सीमांत था अब आपने आठ बीघा तक हर काश्तकार

(श्री रामप्रताप कासनिया)

को मुआवजा देने का जो कदम उठाया है यह तो बहुत सराहनीय कदम है। ... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस सरकार को दोबारा रिपीट होना है काश्तकारों के मुआवजे की घोषणा करो। ... (व्यवधान) अगर राज्य सरकार यह घोषणा करती है तो इस सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दो 295 के प्रस्ताव यहां पर आये हैं, उनको पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(नियम 295 के तहत प्राप्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-48(14)वित्त/कर/99-131 दिनांक 21.2.2007 जिसके द्वारा राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर को उसकी जयपुर नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि एवं भवन पर बकाया कर रुपये

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

12.89 लाख एवं देय ब्याज एवं शास्ती की सम्पूर्ण बकाया राशि की छूट प्रदान की गई है ।

2. अधिसूचना संख्या-एफ.2(26)एफ.डी./टैक्स/2006-132 दिनांक 23.2.2007 जिसके द्वारा भूमि कर में राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा 42(4) के अंतर्गत अंतिम रूप दी गई सूचियों की प्रभावी तिथि अधिसूचित की गई है ।

3. अधिसूचना संख्या-एफ.2(6)एफ.डी./टैक्स/2007-133 दिनांक 28.2.2007 जिसके द्वारा भूमि कर में 10 हैक्टेयर से कम भूमि के भूमि धारकों पर कर माफ करने एवं 10 हैक्टेयर से 50 हैक्टेयर भूमि के भूमि धारकों के लिये कर की दर कम की गई है ।

4. अधिसूचना संख्या-प.10(3)वित्त/कर/95-134 दिनांक 6.3.2007 जिसके द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा राजमंदिर सिनेमा में प्रायोजित फिल्म 'डोर' के एक शो को मनोरंजन कर से परिहार किया गया है ।

श्री अध्यक्षः प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक – महालेखा परिक्षक के 3 प्रतिवेदन

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

I भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) ;

II भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) ; एवं

III भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री खुशवीर सिंह, याचिका का उपस्थापन करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

श्री भागीरथ चौधरी, याचिका का उपस्थापन करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाएं-

किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर 132 KVGSS चौकी का विस्तार

I किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित 132 KVGSS चौकी का विस्तार कर 220 KVGSS में परिवर्तित करने बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

किशनगढ़ मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण बाबत

II किशनगढ़ (अजमेर) मुख्यालय पर संत नागरीदास स्टेडियम के निर्माण बाबत् चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अशोक बैरवा 'खण्डार', याचिका का उपस्थापन करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

मैं चाहती थी कि आप अकाल राहत मंत्रीजी के वक्तव्य के बाद में अपने सुझाव देते, अपनी बात कहते लेकिन आप ऐसा नहीं करके ऐं ऐं ही कर रहे हैं इसलिए मैं सदन की, मैं चाहती हूं कि आप इतना संवेदनशील मामला है कि राजस्थान के अधिकांश भाग में भयंकर ओलावृष्टि से तबाही हुई है इसलिए मैं चाहती हूं कि आप अपने-अपने इलाके में जाएं और अपने-अपने इलाकों में जाकर के और आप देखें और जो सुझाव आपको देने हैं 15 तारीख के रोज आप यहां पर वापस आएं और 15 तारीख को मुख्य मंत्रीजी जब बोलेंगी तो वो इस बात को भी उसमें सम्मिलित करेंगी और यथा संभव किसान को जो कुछ मदद यह सरकार कर सकती है वो करेगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14, बुधवार, प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करती हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.18 बजे, बुधवार 14 मार्च, 2007 के 1100 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

खैरवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि से सड़को/पुलियाओं के क्षतिग्रस्त होने बाबत

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) : विधानसभा क्षेत्र खैरवाड़ा में अतिवृष्टि से कई सड़के व पुलियां क्षतिग्रस्त हुई। विभाग द्वारा इनकी मरम्मत व रिपेयर के लिये सार्व. निर्माण विभाग ने तखमीना के साथ 2.25 करोड़ की मांग की है मगर पूरा बजट में पैसा नहीं मिलने के कारण सारी सड़कें अभी भी क्षतिग्रस्त हैं। कई पंचायतों का आवागमन भी अभी रूका हुआ है। वहां की जनता के लिये ऐसी स्थिति आवश्यक वस्तुओं को जुटाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मेरा सरकार एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितनी भी सड़कें व पुलियां क्षतिग्रस्त हैं उन्हें जल्दी से जल्दी बजट उपलब्ध करवाकर ठीक करवाई जाये ताकि जनता के आवागमन चालू हो सके। एवं आवश्यक वस्तुओं को वे आसानी से ला सकें साथ ही कई सड़कें कृषि मण्डी से बनी हुई एवं टी.ए.डी. से विधायक मद से सांसद मद से भी पुलिया एवं सड़कें बनी हुई है। इन सड़कों एवं पुलियां को विभाग से मरम्मत नहीं करवाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इन सड़कों की देखभाल कोई नहीं कर सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई सड़कें व पुलियां है मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन है कि आप इन सड़कों का भी सर्वे कराकर सभी सड़कों एवं पुलियां वापस निर्माण करावे ताकि वहां आवागमन के साधन पुन: चालू हो सके और जनता को राहत मिल सके। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आशा करता हूं कि आप शीघ्र-शीघ्र ही हमारी मांगें स्वीकार करेंगे ताकि जनता की आवश्यकता पूरी होगी।

खेतड़ी विधान सभा क्षेत्र के मेहाडा स्टेण्ड पर क्रय-विक्रय केन्द्र न होने बाबत

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी) : विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी, हरियाणा सीमा से लगता क्षेत्र है जहां गत वर्ष भी मैने क्रय-विक्रय केन्द्र खोलने को लिखा था। खरीद केन्द्र के अभाव में किसानों को हरियाणा की नारनौल मण्डी में (दूरी 25 कि.मी.) जाना पड़ता है जिससे राजस्थान सरकार द्वारा उचित मूल्य पर सरसों को खरीद का फायदा मेरे क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है और अधिक दूरी पर जाकर सरसों बेचने पर किराया भी किसानों को वहन करना पड़ता है।

(श्री दाताराम गुर्जर)

अत: अध्यक्ष्ा महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि शीघ्र ही सरसों खरीद केन्द्र खोलने का आदेश करावें।

दादिया (सीकर) में हवाई पट्टी से प्रभावित किसानों को जमीन के बदले दी जाने वाली मुआवजा राशि बढ़ाने हेतु

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर) : राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत में आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री साहिबा का ध्यान मेरे निर्वाचन क्ष्ोत्र के ग्राम दादिया में निर्माणाधीन तारपुरा हवाई पट्टी के नीचे आने वाली खेतों की जमीन के मुआवजे की राशि बढ़ाने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जो मेरे निर्वाचन क्ष्ोत्र के किसान काफी गरीब है जो कई वर्षो से प्रकृति की मार सहते आये हैं। उस पर केन्द्र सरकार का किसान विरोधी नीति के कारण भी काफी हताश है। राज्य का किसान आज केवल माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। हमारी सरकार व हमारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के सहयोग व प्रयास से दादिया में जो हवाई पट्टी बनने जा रही है वह तो स्वागत योग्य है परन्तु माननीय अध्यक्ष जी उस पट्टी के नीचे आने वाली जमीनों का मुआवजा काफी कम है। उनको मात्र 20/- बीस रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा दिया जा रहा है इससे किसान कहीं भी जमीन खरीद नहीं सकता। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री साहिबा से निवेदन है कि उनकी मुआवजा राशि बढ़ाई जाये या किसानों को उस जमीन के बदले अन्यत्र जमीन दी जाये ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

निम्बाहेड़ा से नारेला सड़क को मरम्मत एवं पुन: निर्माण के बाबत

श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्ष्ोत्र की तहसील निम्बाहेड़ा में खनिज विभाग द्वारा 8 एप्रोच रोड का निर्माण विगत वर्ष में कराया गया है। इसमें से 7 सड़कों को विभाग द्वारा उनके निर्माण के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण को सुपुर्द कर दिया है, जिसका रखरखाव एवं समय-समय पर मरम्मत एवं निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

यह कि खनिज विभाग द्वारा वर्ष 1996 में निम्बाहेड़ा से नारेला तक 9.40 कि..मी. सड़क स्वीकृत की गयी थी जिसका निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा वर्ष 1996

(श्री अशोक कुमार नवलखा)

से 1998 तक लगभग 3 वर्षों में पूरा किया। ठेकेदार द्वारा उक्त सडक का निर्माण अत्यन्त घटिया स्तर का करने से यह सड़क निर्माण होते ही क्षतिग्रस्त होकर जगह-जगह से उखड़ गयी। जब खनिज विभाग ने इस सडक को सार्व. निर्माण विभाग को सुपुर्द करने की कार्यवाही की तो सार्व. निर्माण विभाग ने सड़क घटिया व क्षतिग्रस्त होने से अपने अधीन लेने से मना कर दिया तथा बार-बार कहा गया कि इस सड़क को विभाग मरम्मत एवं नवीनीकरण कराके उसे सुपुर्द करें।

दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी बार-बार बजट का अभाव बताकर इस सड़क को मरम्मत नहीं करायी गयी। जिस कारण वतर्मान में इस सड़क की हालत अत्यन्त दयनीय है सड़क लगभग पूरी उखड़ कर समाप्त हो चुकी है जिसके फलस्वरूप बिनोता, टाटरमाला, सालर माला, मण्डलावारण, नारेला आदि क्षेत्र को माइन्सों में जाने वाले वाहन इस मार्ग पर चलना लगभग बन्द हो गये हैं तथा उन्हें लम्बी दूरी तय करके निम्बाहेड़ा मंगलवाड बी.ओ.टी. मार्ग से टोल टैक्स चुकाकर जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि निम्बाहेड़ा की इस क्ष्ोत्र की पत्थर खदाने एशिया में प्रसिद्ध हैं तथा प्रति वर्ष इस क्ष्ोत्र में सरकार को रायल्टी व टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये का राजस्व अर्जित होता है इतना होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण सड़क को मरम्मत एवं निर्माण नहीं होने से माइन्स क्ष्ोत्र में काम करने वालों में तीव्र रोष व्याप्त है।

मेरा इस कथन के माध्यम से सरकार विशेष रूप से खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि बजट के अभाव का बहाना छोड़कर क्ष्ोत्रवासियों की पीड़ा एवं दर्द को समझकर निम्बाहेड़ा से नारेला माइन्स एप्रोच रोड का शीघ्र निर्माण करवाने का कष्ट करें।

अन्त्योदय अन्न योजना के तृतीय विस्तार में शामिल परिवारों को न्याय दिलाने बाबत।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : अध्यक्ष महोदय, अन्त्योदय अन्न योजनान्तर्गत परिवारों के चयन में मा. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देशों की अनिवार्य रूप से सभी राज्य सरकारों द्वारा पालना की गई। इन निर्देशों के अनुसार पूर्व से हटकर नियमों में परिवर्तन किया गया। नये नियमावली के अनुसार यह निर्देशित किया गया कि अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल परिवारों को बीपीएल की सूची में से लेना अनिवार्य नहीं है। बीपीएल सूची के अलावा यदि कोई गरीब व्यक्ति जो कि किन्हीं कारणों से बीपीएल की सूची में आने से वंचित रह गया है, को भी

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किया जा सकेगा। इस बाबत सरकार द्वारा सभी जिला प्रशासकों को समुचित दिशा-निर्देश दिए गए। परिणामस्वरूप तृतीय विस्तार के अन्तर्गत ऐसे हजारों परिवारों को राजस्थान के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल कर लिया गया।

राज्य सरकार द्वारा बीपीएल की नवीन सूची 15 सितम्बर, 2006 को जारी कर दी गई है। उक्त सूची में अनेक परिवार जिनको अन्त्योदय अन्न योजना की तृतीय विस्तार में शामिल किया गया था बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया गया। एक ओर जहां सरकार उक्त परिवारों को सबसे गरीब परिवार मानती है तथा इसी आधार पर इन्हें अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल किया गया था और दूसरी ओर इन्हें बीपीएल में शामिल कर इन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल कर उन्हें मिलने वाली अन्य सुविधाएं भी शीघ्र उपलब्ध कराई जावें तथा उक्त परिवारों को मेडिकल सहायता कार्ड उपलब्ध कराकर राहत प्रदान की जावे।

अजमेर में सड़कों की मरम्मत बाबत

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि अजमेर में आर.यू.आई.डी.पी. योजनान्तर्गत सीवरेज का कार्य प्रगति पर है। सीवरेज डालने के उपरान्त तोडी गई सड़कों का पुन: निर्माण या मरम्मत आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा ही कराया जाना प्रस्तावित था। परन्तु कुछ तकनीकी गलतियों के कारण कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। इस धीमी गति के चलते जहां जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं सड़कों की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। सड़कों की हालत को देखते हुये जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सड़कों के पुन: निर्माण का कार्य सार्व. निर्माण विभाग से करवाया जावे। इस निर्णय के तहत आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा 14 फरवरी, 2006 को 63 लाख रुपये सार्व. निर्माण विभाग को निम्न पांच सड़कों के निर्माण हेतु हस्तान्तरण किये गये :-

1. महावीर सर्किल से शास्त्री नगर तक।
2. पुलिस लाईन से जवाहर नगर तक।
3. पुलिस लाईन से लोहा खान तक।

(श्रीमती अनिता भदेल)

4. अजन्ता सिनेमा हाल से 9 नम्बर पैट्रोल पम्प तक।

5. सूचना केन्द्र चौराहे से मेडिकल चौराहे तक।

मा. मंत्रीजी पूरा एक वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी विभाग द्वारा सडकों के निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराया जा सका। बड़ी मुश्किलों के बाद 21 सितम्बर, 2006 को विभाग ने इन पांचों सड़कों में से मात्र केवल एक सड़क महावीर सर्किल से शास्त्री नगर तक के लिये निविदाऐं आमंत्रित की। 18.11.2006 को मुरारी लाल अग्रवाल फर्म को कार्य हेतु कार्यादेश दिया गया। कार्य के पूर्ण होने की तिथि 17.2.2007 तय की गई। मान्यवर कार्यदेश देने के उपरान्त कार्य के पूर्ण होने की तिथि की अवधि भी निकल जाने के उपरान्त भी संबंधित फर्म द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। मैं आपसे इस हेतु बहुत-बहुत निवेदन करना चाहती हूं कि विभाग को निर्देशित करें, एवं संबंधित फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रसारित करे। ताकि भविष्य में कोई भी फर्म या ठेकेदार इस प्रकार कार्य में कोताही न बरते। और कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिये कटिबद्ध हो।

चिकानी व बहादुरपुर ग्राम (खैरथल) की पेयजल योजना जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन करने बाबत

श्री जयराम जाटव (खैरथल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरथल के ग्राम चिकानी व बहादुरपुर में सेक्टर रिफोर्म स्कीम के द्वारा ग्रामीणों को पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उक्त दोनों गांवो को सेक्टर रिफोर्म स्कीम सेक्टर रिफोर्म की कमेटियों की लापरवाही के कारण स्कीम फैल हो गई है। उक्त दोनों गांवों की स्कीमों में बिजली के बिल 4-5 लाख रुपये बकाया है। कमेटियों के अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष स्कीम के प्रति लापरवाह होने के कारण स्कीम फैल हो गई है।

बिजली का बिल इतना बकाया है कि ग्रामीण बिजली का बिल भरने में असमर्थ है बिजली बोर्ड कभी भी बकाया बिजली के बिल के कारण बिजली का कनेक्शन काट सकते हैं या तो सरकार द्वारा कमेटियों से बकाया बिजली का बिल जमा कराया जावें अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे और जैसा कि अलवर जिले के कलसाडा गांव के सेक्टर रिफोर्म की स्कीम को जन. स्वा. अभि. विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया था ठीक इसी प्रकार चिकानी व बहादरपुर गांवों की स्कीमों को अधिग्रहित किया जावे। माननीय जन. स्वा. अभि. विभाग मंत्री से अनुरोध है कि उक्त दोनों गांवों को जन. स्वा. अभि. विभाग में अधिग्रहण करने का आश्वासन प्रदान करें।

इन्दिरा गांधी नहर के सुदृढ़कीरण करने बाबत

श्री धमेन्द्र कुमार (टिब्बी.): इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य 1965 में लगभग मुख्य नहर का निर्माण हुआ था। निर्माण कार्य होने के बाद दिन-प्रतिदिन इस महत्वपूर्ण नहर की स्थिति जर्जर व्यवस्था में होती जा रही है। उक्त नहर की क्षमता 18500 क्यूसेक निर्धारित की गयी थी, वर्तमान 14100 क्यूसेक मानी जा रही है लेकिन 18500 क्यूसेक पानी ना तो चला एवं ना ही आज 14100 क्यूसेक पानी चल सकता है नहीं चलने का कारण नहर की हालत जर्जर होना है नहर के किनारे जो पेड़ लगे थे उनको सिंचाई विभाग/वन विभाग द्वारा काट लिया गया है पेड़ काटने के बाद नये पेड नहीं लगाये गये। पेड़ काटने के कारण नहर के पटरे पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गये है एवं वर्षा के कारण पटेरों में कटाव आ जाते है जिससे नहर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है नहर के रख रखाव पर बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है। जबकि हनुमानगढ़, बीकानेर व जैसलमेर जिलों की जनता का यह नहर आधार है।

मान्यवर जी, नहर जर्जर होने के कारण आज 14100 क्यूसेक पानी के बजाय 11500 क्यूसेक से अधिक पानी नहीं चल सकता, यदि अधिक जाता है तो सिंचाई विभाग पानी को जी.डी.सी. या धंवरभाव में छोड़ते हैं।

अध्यक्ष जी, इन्दिरा गांधी नहर जर्जर होने का कारण पानी का रिसाव अधिक हो रहा है। नहर के नजदीक दल-दल बनता जा रहा है। जिसे क्षेत्र में सेम जैसी पीड़ा भोगने को विवश हो रहे हैं। आज लुणावाली ढाणी, डबली खुर्द, मसीतावली तहसील टिवी सेबे 6 बि.पी.एम. गंधेली, तरावतसर के काफी भू-भाग पर पानी जमीन से उपर आ गया है जिसके कारण कृषि योग्य भूमि बेघर हो गयी है। काफी लोगों में भुखमरी आ गई है ऐसी स्थिति में नहर सेमग्रस्त एवं दल-दल क्षेत्र से गुजरती है यदि समय रहते इन्दिरा गांधी नहर पर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। अत: मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देकर आमजन को राहत दिलवाने एवं सेम व दल-दल स्थिति को सेम नाला बनाकर इन्दिरा गांधी नहर को सुदृढ़ीकरण करवाया जावे साथ ही रेगुलेशन में काश्तकारों की भागीदारी निर्वाचन प्रकिया से की जाकर रेगुलेशन प्रकिया को संतोषजनक बनाया जा सके।

पाली नगर परिषद द्वारा राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस की भूमि का नियम विरुद्ध नियमन करने विषयक

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के जरिये माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को जानकारी देना चाहता हूं कि नगर परिषदों द्वारा करीब 9-10 माह पूर्व मिलगेट पर स्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर कांग्रेस के कार्यालय की भूमि का नियम विरुद्ध नियमन किया गया साथ ही गलत नियमन के बाद नियमन में उल्लेखित शर्तो का घोर उल्लंघन किया गया। इस नियमन में शर्त थी कि इस भूमि का उपयोग केवल कार्यालय हेतु ही किया जायेगा। यदि इस भूमि का अन्य उपयोग हुआ तो यह भूमि पुन: नगर परिषद अथवा राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी जिसका किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी देय नहीं होगा। इस शर्त के बावजूद भी पाली नगर परिषद के सभापति की मिलीभगत से वहां छ: दुकानों का निर्माण करवा दिया। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, लाखों का लेनदेन भी हुआ कई पार्षदों ने नागरिकों ने कई बाद तत्कालीन जिला कलक्टर एवं परिषद सभापति को लिखित में ज्ञापन देकर इस अवैध निर्माण को रूकवाने एवं भारी रकम वसूल इन अवैध को किराये पर देने में हुये भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी परन्तु परिषद सभापति ने ज्ञापनों की अनदेखी कर अपनी यह शह से अवैध दुकानों का निर्माण होने दिया इतना ही नहीं जितनी भूमि का नियम विरुद्ध नियमन किया गया उससे अधिक भूमि पर अवैध निर्माण होने दिया एवं इस नियम विरुद्ध नियमन में राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास की भूमि पर निर्माण के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के पास भूमि रिक्त रखे जाने के नियम के बावजूद भी वहां अवैध निर्माण होने दिया गया। इतना ही नहीं नियम हेतु वसूली जाने वाली राशि में भी भारी भ्रष्टाचार कर परिषद को लाखों रुपये की हानि पहुंचाई गई है। ईटक कार्यालय की भूमि सुभाष सर्किल से लेकर मिलगेट के मध्य मुख्य सड़क पर स्थित है। डी.एल.सी. में इसकी दर भी अलग से दर्शायी गयी है जबकि इस भूमि के नियमन हेतु सुभाष नगर ए को आरक्षित दर से राशि वसूल की गई है।

मान्यवर परिषद सभापति ने अपने पद का दुरूपयोग कर ईटक कार्यालय की भूमि का नियम विरुद्ध नियमन किया उस पर अवैध दुकानों का निर्माण होने दिया कम राशि वसूल कर परिषद को लाखों रुपये की हानि भी पहुंचाई, मेरे द्वारा इस प्रकरण की जांच करवाने की मांग पर आपने स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक से इस प्रकरण की जांच भी कराई जांच अधिकारी ने जांच में माना कि अवैध दुकानों का निर्माण हुआ। पार्षदों एवं नागरिकों द्वारा लिखित में सभापति को शिकायत

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करने एवं तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा भी सभापति आयुक्त को निर्देशित करने पर भी उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरती है। इस हेतु स्वायत्त शासन विभाग के उप सचिव ने सभापति से स्पष्टीकरण भी मांगा फिर भी अभी तक नियमन की शर्त के अनुसार इस भूमि का व्यावसायिक उपयोग होने पर इस भूमि को पुन: नगर परिषद या राज्य सरकार में निहित नहीं किया गया है ना ही इस पूरे प्रकरण में लिप्त लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में जो भी अधिकारी लिप्त रहे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करावें एवं ईटक कार्यालय का भूमि का नियमन निरस्त कर इस भूमि को पुन: नगर परिषद में निहित करने की कार्यवाही करावें।

करणी जी नहर बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक पक्की करने के लिए स्वीकृति जारी करने बाबत

श्री लालचन्द (रायसिंह नगर) : अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त में लेख है कि करणी जी नहर बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक लगभग 65 वर्ष पुरानी चूना कंकर से बनी हुई है और जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है। करणी जी नहर बुर्जी संख्या 50.000 से टेल तक 3 क्यूसैक एक हजार एकड़ जल भत्ता के अनुसार पक्की हो रही है परंतु करणी जी नहर बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक क्यूसेक 2.688 एक हजार एकड़ जल भत्ता अनुसार है।

गंग नहर आधुनिकरण योजना के अनुसार गंग नहर कैनाल की सभी नहर पक्की हो रही हैं लेकिन गंग नहर आधुनिकरण योजना में करणी जी नहर बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक नहीं ली गई करणजी नहर बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक क्षतिग्रस्त है और करणी जी नहर को जल भत्ता के अनुसार बुर्जी संख्या 0.000 से टेल तक पानी सुचारू रूप से पहुंचाने के लिए पक्की करना जरूरी है।

क्योंकि इस क्षेत्र का एरिया जो सिंचित है वहां का भी टाईड कमाण्ड है और इस नहर बैड लेवल वर्तमान लेवल से करीब 2 फुट ऊपर होगा तभी किसानों को सिंचाई सुविधा पूलों से मिल सकेगी।

अत: करणी जी नहर की बुर्जी संख्या 0.000 से 50.000 तक पक्की बनाने की स्वीकृति जारी करने का श्रम करें जिससे इस नहर के काश्तकार लाभान्वित हो सके।

नोखा रेफरल अस्पताल को 100 बैड में क्रमोन्नत करने बाबत्

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि नोखा मण्डी जिसका अस्पताल हाईवे के उपर है तथा 70 कि.मी. दूरी में कोई अस्पताल नहीं है, तथा पूरी तहसील में एक ही रेफरल अस्पताल है।

यह कि राष्ट्रीय मार्ग होने के नाते दुर्घटनाऐं भी काफी होती हैं जिसका कोई इलाज अस्पताल में नहीं हो पाता जिसके कारण मरीजों को इलाज के अभाव में दम तोड़ना पड़ता है।

यह कि नोखा बीकानेर जिले का महत्वपूर्ण अस्पताल है जिसमें नोखा के दान दाताओं द्वारा मुफ्त दवाई, एम्बूलेंस सहित करीब एक लाख रुपये का प्रतिवर्ष खर्च दानदाता उठाते हैं। ऐसे होस्पीटल को यदि 100 बैड में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है तो दुखद विषय है।

यह कि पूरी तहसील के लिये महत्वपूर्ण अस्पताल है। अत: मेरा आपसे आग्रह है कि नोखा के होस्पीटल को 100 बैड का अस्पताल बनाया जावे तथा नोखा अस्पताल में स्पोटिजिस्ट व ऑस्थोपेडिक डाक्टर की भी नियुक्ति करने का श्रम करें।

जसरासर व पॉचू पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने का कष्ट करें। चूंकि तहसील के दोनो बड़े गांव है, यदि यहां सी.एच.सी. की व्यवस्था होती है तो नोखा के अस्पताल पर दबाव कम रहेगा

आदिवासी एवं दलितों के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि वन विभाग के स्थान पर काबिज काश्त व्यक्तियों के नाम पर नियमन की जाने बाबत

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1955 के पूर्व से ही आदिवासी/दलितों के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही ग्राम कनकपुरा (माणी), तहसील नैनवां , (बून्दी) की वन भूमि खसरा संख्या 23, 24, 37, 38, 160, 161, 162 की करीब 100 बीघा भूमि का प्रावधान होते हुए भी काबिज काश्त व्यक्तियों के नाम नियमन नहीं किए जाने से गरीब व्यक्तियों को राहत नहीं मिल पायी है।

उक्त में से खसरा नम्बर 161 की 8 बीघा भूमि 16.2.1970 को ही हेमराज आ. रामा मीणा निवासी कनकपुरा के नाम आंवटित की जा चुकी है। उक्त खसरा नम्बरान में से कुछ अन्य भूमियां भी जगन्नाथ बैरवा, सूरजनाथ आदि को भी आवंटित की जा

(श्री रामनारायण मीणा)

चुकी है। रेकार्ड के आधार पर भी उक्त भूमियों पर वर्ष 1970 से काफी वर्षों पूर्व का कब्जा प्रमाणित होता है। उक्त भूमि पर काबिज काश्त व्यक्ति अनपढ़ एवं निर्धन है। किसानों द्वारा भूमि पर वर्षों पूर्व से कुए खुदवा रखें हैं तथा उन पर विद्युत सम्बन्ध भी ले रखे हैं। राज्य सरकार द्वारा पुश्तैनी कब्जे सम्बन्धी जानकारी ग्रामवासियों से ली जा सकती हैं। वन भूमि को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए सलाहकार समिति ने दिनांक 12.10.1977 को उक्त में से 76 बीघा उप जिलाधीश, नैनवां की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में स्पष्ट मत व्यक्त किया था, कि ''मौके पर भूमि में पेड़ तथा जंगलात नहीं है। इस गांव के लोग भूमिहीन हैं तथा डिमार्केशन लाइन गांव के समीप निकली हुई है। यह भूमि वन विभाग से राजस्व विभाग में तब्दील होने योग्य है तथा राजस्व में आने पर सर्वप्रथम इन काबिज भूमिहीनों के नाम आवंटन होना उचित होगा।''

राजस्थान सरकार के राजस्व (क) विभाग की आज्ञा क्रमांक : 7(103)रा./क/71 दिनांक 25.5.1971, राजस्व (ग्रुप-4) विभाग के परिपत्र संख्या एफ.6 (10)राज./ग्रुप-4/77 दिनांक 23 अप्रेल, 1997, वन विभाग के परिपत्र क्रमांक : प.1(18)वन/90 दिनांक 27 अप्रेल, 1991 के अन्तर्गत कृषि योग्य काबिज काश्त वन भूमि को वन विभाग के नाम से हटाकर काश्त व्यक्तियों के नाम नियमन की जाने बाबत् निर्देश हैं।

उक्त भूमि के नियमितीकरण के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान द्वारा अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक ( )वसु/प्रमुवसं/97 दिनांक 6 मार्च, 1997 उप वन संरक्षक, बून्दी को लिखा गया था। इस सम्बन्ध में मण्डल वन अधिकारी बून्दी ने भी पत्र क्रमांक 5425-28 दिनांक 5 मई, 1997 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखा है। वन भूमि के बदले जो भूमि राजस्व विभाग से हस्तान्तरित की जानी थी। वह एसीसी फैक्ट्री की वन भूमि में स्थित खानों के बदले में वन विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है तथा इस बाबत् केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्यमंत्री द्वारा भी राज्य के वन मंत्री को पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2005 लिखा गया है। उक्त भूमि में से वन विभाग का नाम हटाने के लिए विधानसभा में भी मामला उठा है।

भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 जनवरी, 2007 भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट है।

यह प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व ही निर्णित कर दिया जाना चाहिए था।

(श्री रामनारायण मीणा)

उक्त मामला कई बार सरकार के ध्यान में लाये जाने के बावजूद भी सम्बन्धित अधिकारियों की उदासीनता के चलते निर्णित नहीं हो सका है। राजस्व एवं वन विभाग के कार्मिकों की गलती का खामियाजा गरीब आदिवासी/दलित किसानों को भुगतना पड़ रहा है। काश्तकार भयभीत एवं आशंकित रहकर प्रताड़ना तथा कठिनाई सहन कर रहे हैं।

अत: प्रार्थना है कि उक्त वन भूमियां अविलम्ब काबिज अविलम्ब काश्त आदिवासी/दलित व्यक्तियों के नाम आवंटन/नियमन किये जाने की कार्यवाही किये जाने के समुचित आदेश अविलम्ब प्रदान करने की कृपा करें।